

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

क्रमांक/ज.वि.वि.नि.लि./मु.ले./न.ले./रजस्व/पत्रा-165/प्रे 496 दि 2-03-20

परिपत्र

विषय:- 5000/- या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने बाबत

मुख्य अभियन्ता (पवस) ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर से जारी परिपत्र (REO-24) के अनुरूप इस कार्यालय सेजा पत्रांक JPD/CAO/TFCD/F-165/D.1994 दिनांक 24-07-01 (JPD-6/19) में गांव की जनसंख्या 5000 या उससे अधिक के स्थान पर "गांव की जनसंख्या 5000 या उससे अधिक लेकिन कम से कम 300 सक्रिय वॉरेलू विद्युत सम्बन्ध है" पढ़ा जावे।

यह देखने में आया है कि ऐसे वॉरेलू उपभोक्ताओं को जिनको 24 घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है। टेरिफ कोड 1500 फार्म न. MF-2A में नहीं भिजवाने के कारण अभी भी 10 प्रतिशत रिजल्ट मिल रही हैं। जिसके फलस्वरूप निगम का निष्पत्ति सही नहीं हो पा रहा है। अतः कृपया पुनः जांच कर उपरोक्त स्लाह कम्प्यूटर सेजन्सी को तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था करें।


मुख्य लेखाधिकारी

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जयपुर

प्रतिलिपी वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. श्री मान अध्यक्ष एवं प्रमुख निदेशक जोधपुर/अजमेर वि.वि.नि.लि. जोधपुर/अजमेर।
2. श्री मान मुख्य अभियन्ता (पवस) ज.वि.वि.नि.लि., जयपुर
3. श्री मान वित्तिय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक (ज.वि.वि.नि.लि.) जयपुर